क्र. 9144/T.L./2020
26 अगस्त, 2020

कार्यालय कलेक्टर जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म0प्र0

टी0एल0 समीक्षा बैठक दिनांक 24/08/2020 का कार्यवाही विवरण

दिनांक 24 अगस्त 2020 को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में एवं समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की वीडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से आयोजित समय–सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में निम्नानुसार निर्देश पालन की कार्यवाही हेतु दिये गये :–

1– सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में समीक्षा की गई । समीक्षा दौरान गेहूँ किसानों के विफल भुगतान की शेष राशि रू0 1130810/– का शीघ्र भुगतान महाप्रबंधक, केन्द्रीय सह0मर्या0 बैंक एवं जिला प्रबंधक (नॉन) समन्वय कर पूर्ण भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करे ।

(कार्यवाही–महाप्रबंधक, केन्द्रीय सह0मर्या0 बैंक, उपायुक्त सहकारिता, नॉन)

2– आधार सीडिंग की समीक्षा दौरान सर्वप्रथम राशन न लेने वाले सदस्यों का वेरिफिकेशन कराते हुए हटाये जाने वाले एवं जोड़ने वाले नामों की जानकारी ली गई । नवीन संभावित हितग्राहियों के आधार व प्रोफाईल संबंधित 66154 हितग्राहियों की जानकारी जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा दी गई । वर्तमान में लक्ष्य–1 अनुसार कुल 57802 हितग्राहियों का वेरिफिकेशन होना शेष है जिनका शीघ्र निराकरण किया जावे। आधार संबंधी जानकारी सही उपलब्ध न होने के कारण कुल 79171 हितग्राही पात्रता पर्ची से नाम विलोपन की प्रक्रिया प्रचलन में है । जिनमें से कुल 78974 हितग्राही का निराकरण किया जाना है उनका भी शीघ्र निराकरण किया जावें ।

समस्त ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र की आधार सीडिंग में धीमी गति होने के पर आधार सीडिंग में तत्परता से कार्य करने हेतु निर्देश दिये गये । समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी सुनिश्चित करें कि जहाँ पर आधार सीडिंग होना शेष है वे संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अवगत करावें एवं जहाँ उचित मूल्य दुकान पर सबसे ज्यादा आधार सीडिंग शेष है वहाँ दुकान का निरीक्षण कर आधार सीडिंग कम होने की जानकारी लेवें एवं आधार सीडिंग में तीव्र गति से कार्य करावें ।

(कार्यवाही–डी0एस0ओ0 समस्त एस0डी0एम0, सीईओ, जनपद पंचायत, सी0एम0ओ0)

3– समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) यह सुनिश्चित करें कि आगामी समय में आने वाले त्यौहारों के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पंडाल न लगे । परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण एवं समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तथा समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अपने स्तर पर सुरक्षित स्थान का चयन करते हुए सुव्यवस्थित तरीके से मूर्ति/ताजियें विसर्जन की तैयारी करावें ।

(कार्यवाही–पी0ओ0 डूडा, समस्त एस0डी0एम0, समस्त सी0ई0ओ0)

4– समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) यह सुनिश्चित करें कि जो भी व्यक्ति सर्दी, खासी, जुखाम, या बुखार से पीड़ित है एवं जो दवा ले रहे है उन्हें भी होम क्वारंटाईन किया जावें । इस हेतु फीवर क्लिनिक में डॉटा तैयार किया जावें उनकी सूची/जानकारी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को भी उपलब्ध करावें । "सहयोग से सुरक्षा अभियान" के तहत समस्त अधिकारी अपने स्तर पर ग्रामों में जाने वाली टीम की जानकारी तैयार कर लेवे साथ ही ग्रामों में सेम्पलिंग कराने हेतु लोगों को हस्ताक्षर अभियान एवं संकल्प पत्र के माध्यम से जागरूक कराया जावे । इस हेतु स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ ग्राम के सरपंच, सचिव, पटवारी, पुलिस विभाग के कर्मचारी तथा नायब तहसीलदार भी उपस्थित रहे । इस संबंध में समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अपने स्तर पर समाजसेवी संस्थाओं की एक बैठक भी आयोजित कर लेवें जिससे कि समाजसेवी संस्थाएँ कोविड–19 (महामारी) से बचाव हेतु लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास कर सके ।

(कार्यवाही–सी0ई0ओ0 जि0प0, सी0एम0एच0ओ0, समस्त एसडीएम, समस्त सीईओ ज0पं0)

5– पुराने वनाधिकार पट्टों के पुर्नःपरीक्षण की कार्यवाही पर समीक्षा की गई । उपखण्ड स्तरीय समिति खिलचीपुर द्वारा एस0टी0 के 63 दावों एवं उपखण्ड स्तरीय समिति ब्यावरा द्वारा 68 दावों का निराकरण नही किया गया है । जिन्हें शीघ्र निराकरण किये जाने हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को निर्देशित किया गया ।

(कार्यवाही–डी0ओ0 आ0जाति0क0 एवं एसडीएम ब्यावरा/खिलचीपुर)

क्र. 9144/T.L./2020
26-8-2020

6– राज्य शासन के प्राप्त पत्रानुसार नेशनल हाईवे पर किये गये अतिक्रमण हटाये जाने है इस हेतु समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एन0एच0 अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर जहाँ बड़े स्तर पर अतिक्रमण की स्थिति है, हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

(कार्यवाही- समस्त एसडीएम)

7– पेशी से उतरे प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई । समस्त राजस्व अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अपने स्तर पर कोई भी प्रकरण पेशी से न उतरे । पेशी से उतरे प्रकरण पुनः पेशी पर लिये जावें । वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी ब्यावरा के 44, उपखण्ड अधिकारी सारंगपुर 36, तहसीलदार नरसिंहगढ़ 33, तहसीलदार सारंगपुर 53, तहसीलदार खिलचीपुर 36, तहसीलदार पचोर 76, नायब तहसीलदार 98, तहसीलदार सुठालिया 45, नायब तहसीलदा जीरापुर माचलपुर 56, नायब तहसीलदार सण्डावत सारंगपुर 36, नायब तहसीलदार पचोर 75 प्रकरण अधिक संख्या में लंबित है संबंधित अधिकारी शीघ्र निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें ।

जिले में वर्तमान में रीडर स्तर 427 एवं पी0ओ0 स्तर पर 732 प्रकरण लंबित है । जिनमें रीडर लॉगिन पर अधिक मात्रा में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा 39, तहसीलदार ब्यावरा 37, तहसीलदार खिलचीपुर 93, नायब तहसीलदार सण्डावता 37, नायब तहसीलदार तलेन 33 एवं पी0ओ0 लॉगिन पर अनुविभागीय अधि0 राजगढ़ 42, अनुविभागीय अधि0 सारंगपुर 91, अनुविभागीय अधि0 खिलचीपुर 45, तहसीलदार ब्यावरा 57, तहसीलदार सारंगपुर 57, तहसीलदार खिलचीपुर 64, तहसीलदार राजगढ 49, तहसीलदार खुजनेर35, तहसीलदार सुठालिया 49 नायब तहसीलदार छापीहेड़ा 43 प्रकरण लंबित है । अतः समस्त राजस्व अधिकारी उक्त प्रकरणों का तत्परता के साथ निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें ।

(कार्यवाही– समस्त राजस्व अधिकारी)

8– जिले में अवैध कॉलोनी निर्माण के संबंध में समस्त अनुविभागीय अधिकारियों से समीक्षा की गई तथा निर्देशित किया गया कि जहॉ नए स्तर से अवैध कॉलानी निर्माण की जा रही है वहॉ उक्त कॉलोनियों के निर्माण पर रोक लगाई जावें । पचोर में न्यायालय के पास की जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर मकान बनाये जा रहें है अतः अनुविभागीय अधिकारी सारंगपुर को निर्देशित किया जाता है कि मौका जांच उपरांत आवश्यक कार्यवाही कर अवगत करावें

(कार्यवाही– समस्त राजस्व अधिकारी)

9– समस्त अधिकारी सुनिश्चित करे कि शासकीय विभागों में समूह उत्पादित सामग्री को प्राथमिकता से क्रय किया जावें। विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आदिम जाति विभाग के छात्रावासों में सामग्री खरीदी के निर्देश दिये गये ।

(कार्यवाही– समस्त अधिकारी)

10– पी0एम0 स्वनिधि स्ट्रीट वेन्डर्स के प्रकरणों की समीक्षा की गई । जिला परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि पी0एम0 स्वनिधि स्ट्रीट वेन्डर्स के 5796 लक्ष्य होने, 2286 प्रकरण ऑनलाईन बैंकों में प्रेषित् किये गये है तथा 1408 प्रकरण ऑनलाईन स्वीकृत किये गये है ।

बैंकों में प्रेषित प्रकरण 2286 बैंक शाखा द्वारा निराकृत किया जावें । वर्तमान में बैंकों द्वारा मात्र 524 प्रकरणों के वितरण की कार्यवाही की गई है जो कि बहुत कम है, कार्य को तीव्र गति से करने हेतु निर्देश दिये गये ।

(कार्यवाही–एलडीएम, पी0ओ0 डूडा एवं समस्त नगरपालिका अधि0)

11– बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त पुल–पुलिया एवं जनहानि के संबंध में समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से समीक्षा की गई । कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, महाप्रबंधक, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना एवं समस्त सी0एम0ओ0 नगरीय निकाय यह सुनिश्चित करे कि जहॉ–जहॉ रोड़/पुल–पुलिया क्षतिग्रस्त हुई है वहॉ की व्यवस्थाएँ दुरस्त करावें एवं व्यवस्थाएँ दुरस्त न होने की स्थिति में मार्ग आवागमन बंद कराया जावें ।

(कार्यवाही–समस्त एसडीएम, ई0ई0पीडब्ल्यूडी,
महाप्रबंधक,पीएमजीएसवाय एवं समस्त सीएमओ)

<u>12–सी0एम0हेल्पलाईन प्रकरणों की समीक्षाः–</u>

सी0एम0 हेल्पलाईन प्रकरणों में वर्तमान में जिले में लेवल–4 पर कुल प्राप्त 2366 शिकायतें लंबित है । अतः समस्त अधिकारियों को निर्देशित जाता है कि अपने विभागान्तर्गत एल–4 स्तर के लंबित प्रकरणों का आगामी टी0एल0 बैठक के पूर्व निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें ।

क्र. 9144/T.L/2020
26-8-2020

वर्तमान में खाद्य आपूर्ति विभाग की 163, कृषि विकास विभाग की 149, लोक स्वास्थ्य 157, फसल बीमा–कृषि कल्याण 287, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 100, मनरेगा 75, संस्थागत वित्त 120, राजस्व विभाग 289, पंचायती राज 63 शिकायतें लेवल–4 पर लंबित है । जिनका शीघ्र निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जावें तथा संबंधित विभागीय अधिकारी लेवल–4 पर प्राप्त शिकायतों का निराकरण कराया जावे एवं निराकरण न होने के स्थिति में आगामी टी0एल0 बैठक में कारण सहित जानकारी देवें ।

(कार्यवाही–समस्त अधिकारी)

13– सी0एम0 मॉनिट में लंबित पत्रों की समीक्षाः–

समस्त अधिकारियों को सी0एम0 मॉनिट के लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया वत्रतथा प्रकरणों को समय–सीमा में निराकृत कर दिया जावें जिससे कि सी0एम0 मॉनिट स्तर पर प्रकरण न आ सके ।

वर्तमान में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के 02, स्वास्थ्य विभाग 04, अनुविभागीय अधि0 खिलचीपुर 02 प्रकरण सी0एम0 मॉनिट स्तर पर लंबित है जिनका तत्काल निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

(कार्यवाही–समस्त संबंधित अधिकारी)

14– शासन से प्राप्त महत्वपूर्ण पत्र :–

जिला कोषालय एवं पेंशन अधिकारी द्वारा समीक्षा दौरान अवगत कराया गया कि विगत 05 वर्षो में सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के लंबित पेंशन प्रकरणों एवं देय स्वत्वों के भुगतान के लिए जिले में 26 अगस्त 2020 से 11 सितम्बर 2020 की अवधि में समस्त कार्यालयों में विशेष अभियान चलाये जाने के निर्देश वरिष्ठ कार्यालय द्वारा प्राप्त हुए है ।

अतः समस्त अधिकारी सेवा निवृत्त शासकीय सेवकों के देय स्वत्वों अवकाश नगदीकरण, जीपीएफ, डीपीएफ, जीआईएस आदि लंबित स्वत्वों का भुगतान 30.08.2020 तक कराना सुनिश्चित करें तथा इस आशय का प्रमाण पत्र भी माह अगस्त 2020 के वेतन देयक जिला कोषालय में प्रस्तुत करते समय देवें । साथ ही समस्त अधिकारी अपने कार्यालयों का रोस्टर एवं ग्रेडेशन लिस्ट भी सुव्यवस्थित कराया जाना सुनिश्चित करें ।

(कार्यवाही--समस्त संबंधित अधिकारी)

15– टी0एल0 में प्राप्त पत्रों की समीक्षाः–

1– अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) नरसिंहगढ़ को तिरूपति वेयर हाउस कुरावर के संबंध में जॉच कर **एक सप्ताह** में प्रतिवेदन से अवगत कराने हेतु निर्देश दिये गये ।

(कार्यवाही–एसडीएम नरसिहगढ़)

2– उप महानिरीक्षक, महानिदेशालय, भा0ति0सी0पु0बल के प्राप्त पत्र आवेदक प्रणीता सिंह द्वारा दिये गये आवेदन जिसमें श्री समंदरसिंह, ग्राम टीकरिया, तहसील पचोर द्वारा अवैध कब्जा करने संबंधी पत्र पर कार्यवाही कर अवगत कराने के निर्देश दिये ।

(कार्यवाही–तहसीलदार पचोर)

3– पुलिस अधीक्षक मानव अधिकार आयोग का पत्र क0/14665 जिसमें आवेदक श्री हरिनारायण के प्राप्त आवेदक के प्रकरण का निराकरण कर प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय भेजा जाना था । उक्त प्रकरण में वरिष्ठ कार्यालय को शीघ्र प्रतिवेदन से अवगत कराया जावे ।

(कार्यवाही–प्रभारी अधि0 शिकायत)

16–अंर्तविभागीय समन्वय के बिन्दुः–

1– उपसंचालक, कृषि द्वारा प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल के पत्र जय किसान फसल ऋण माफी योजना की की गई क्रेडिट एन्ट्री बहुत कम है, के संबंध में जानकारी दी गई । उक्त कार्य महाप्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी मर्या0 बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक द्वारा शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये ।

(कार्यवाही–डीडीए, जी0एम0 सीसीबी एवं एलडीएम)

क्र. 9144/T.L./2020
26-8-2020

2– उप संचालक, कृषि द्वारा सी0एम0सी0एस0 मॉनिट के प्रकरणों को महाप्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी मर्या0 बैंक एवं प्रबंधक, जिला अग्रणी द्वारा निराकरण किये जाने के संबंध में अवगत कराया गया । अतः उक्त अधिकारी सी0एम0सी0एस0 मॉनिट के प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें ।

(कार्यवाही–उप संचालक कृषि, जीएम सीसीबी एवं एलडीएम)

3– कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पेय जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला निर्माण स्थल पर अतिक्रमण हटाये जाने संबंधी जानकारी दी गई । इस हेतु तहसीलदार नरसिंहगढ़ को अतिक्रमण हटाये जाने के निर्देश दिये गये ।

(कार्यवाही– ई0ई0 पीएचई एवं तहसीलदार नरसिंहगढ़)

अंत में धन्यवाद उपरान्त बैठक समापन की गई ।

कलेक्टर
जिला राजगढ़, म.प्र.

कार्यालय कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.

क्रमांक 9144/टीएल/20 राजगढ़, दिनांक 26 अगस्त 2020

प्रतिलिपिः

1– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला राजगढ़।
2– अपर कलेक्टर, जिला राजगढ़।
3– संयुक्त कलेक्टर, जिला राजगढ़।
4– डिप्टी कलेक्टर, ... जिला राजगढ़।
5– सर्व जिलाधिकारी..जिला राजगढ
6– समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).................................. जिला राजगढ।
7– समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत..............................जिला राजगढ।
8– समस्त तहसीलदार...............................जिला राजगढ।
9– समस्त नगरपालिका...............................जिला राजगढ।
10– अधीक्षक, कलेक्टर कार्यालय, जिला राजगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं दिए गए निर्देशों का पालन कर पालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें ।

कलेक्टर
जिला राजगढ़, म.प्र.